डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

इजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

1. हनुमान सहाय पुत्र उमराव सिंह
2. गोरधनी पत्नि गयाजीत
3. शिवरामसिंह पुत्र गयाजीत
4. बलवीर पुत्र रामहंस

समस्त जाति गूर्जर निवासी बाढमहासिंहपुरा तहसील टोडाभीम

वादीगण

बनाम

1. सियाराम पुत्र हरिसिंह गूर्जर निवासी बाढमहासिंहपुरा तहसील टोडाभीम

प्रतिवादी

मु0न0. 96 सन 2017

ा वावत स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट व ज़री श्री ....—.......... मिनकानिब गुदई रूबरू.हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है। कि

अतः दावा वादीगण व खिलाफ प्रतिवादी वावत स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया कर प्रतिवादी को ग्राम बाढमहासिंहपुरा के आराजी ख0न0 545/0.10 है0 मे वादीगण के जेकाश्त मे किसी प्रकार मजाहमत मदाखलत नही करने हेतु पाबन्द किया जाता है।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद ज..........—..........मुबलिंग..........—..........बाबत..........—..........खर्चा इस मुकदमे के मय शूद अदायगी तक..........—..........अदा करे।

रह..........—..........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..........—..........अदा करे।

ब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 03.06.2019 को जारी की गई।

दस्तखत (हस्ताक्षर) उपजिला कलक्टर

ओहदा टोडाभीम (करौली)

(मुहर: उपजिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट ★ टोडाभीम)

दई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
ाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
ाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
ाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
हनताना वकील			खर्चा गवाहान		
र्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
ीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
तफरिक					

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

तारीख रजू:- 20.07.2017

/17

पीठासीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. हनुमान सहाय पुत्र उमराव सिंह
2. गोरधनी पत्नि गयाजीत
3. शिवरामसिंह पुत्र गयाजीत
4. बलवीर पुत्र रामहंस

समस्त जाति गूर्जर निवासी बाढमहासिंहपुरा तहसील टोडाभीम — वादीगण

बनाम

सियाराम पुत्र हरिसिंह गूर्जर निवासी बाढमहासिंहपुरा तहसील टोडाभीम — प्रतिवादी

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:- श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादी)

दिनांक:- 03.06.2019

निर्णय

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बाढमहासिंहपुरा के आराजी ख0न0 545/0.10 है0 वादी हिस्सा 1/2, वादी न0 2 हिस्सा 1/8 वादी न0 3 हिस्सा 1/8 एवं वादी न0 4 हिस्सा 1/4 के ार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीगण की इस भूमि से प्रतिवादी का कोई संबध नही है। प्रतिवादी रदस्ती लट्ठ के बल पर झगडा कर वादीगण की उक्त भूमि को छीनने पर उतारू है। वॉका दिनांक .7.17 को वादीगण उक्त भूमि की देखभाल कर रहे थे। तब प्रतिवादी हाथ मे लट्ठ लेकर आया और हा कि तुम खेत पर आना छोड दो, और वारदात करने की एलानिया धमकी दी इस कारण यह वाद पत्र श करना आवश्यक हुआ है। अतः दावावादी गण खिलाफ प्रतिवादी वावत स्थाई निषेधाज्ञा डिकी किया ाकर प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे कि वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि ख0न0 545/0.) है0 ग्राम बाढमहासिंहपुरा मे वादीगण के कब्जेकाश्त मे रूकावट पैदा नही करे। ऐसा कोई कार्य नही करे जससे वादीगण को क्षति पहुचती हो।

ावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की और से श्री मदनमोहन र्मा एडवोकेट की ने वकालतनामा पेश किया। पर्याप्त समय दिए जाने पर भी जबाव प्रस्तुत नही किया ाया। दिनांक 29.1.18 को प्रतिवादी वकील एवं प्रतिवादी मेसे किसी के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वादी हनुमान सहाय की और से वाद पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। वादी वकील ने अपनी बहस मे कथन किया कि वादीगण के खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि से प्रतिवादी का कोई किसी प्रकार का संबध नही है। इसलिए उसे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वर्णित आराजीयात मे कब्जेकाश्त मे व्यवधान पैदा नही करे।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2070–73 ग्राम बाढमहासिंहपुरा का अवलोकन किया गया। वादीगण आराजी ख0न0 545/0.10 है0 के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। वादीगण का दावा वावत स्थाई निषेंधाज्ञा डिकी किए जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण व खिलाफ प्रतिवादी वावत स्थाई निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर प्रतिवादी को ग्राम बाढमहासिंहपुरा के आराजी ख0न0 545/0.10 है0 मे वादीगण के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार मजाहमत मदाखलत नही करने हेतु पाबन्द किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

03.6.19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

उपजिला कलेक्टर एवं

Scanned by CamScanner